संख्या-40/2021/745/सैंतीस-2-2021-1(14)/2019टीसी।

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-30 मार्च, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (100 प्रति0के0पो0) योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-754/चारा/।।।एफ(436)/एन.एल.एम./एस.पी.लैब/2020-21, दिनांक-24.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0202-डिजीज फ्री जोन की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.) के मानक मद 07-मानदेय में सम्भावित बचतों से लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.) के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 के अनुसार पुनर्विनियोजित किये जाने की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मितव्ययता को ध्यान में रखकर किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(2) बचत की मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा न ही देयता सृजित की जायेगी।

(3) जिस मद हेतु वस्तुतः धनराशि पुनर्विनियोग करायी जा रही है। धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा। इससे इतर मद में धनराशि का व्यय अनुमन्य न होगा।

(4) पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(5) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे मद में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की गयी और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(6) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाये।

(7) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, अतः वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेश का पालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-395/दस-2021, दिनांक-27.03.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक - प्रपत्र बी.एम.-9

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-40/2021/745(1)/सैंतीस-2-2021- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव (एन.एल.एम.), पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।